CODE OF CIVIL PROCEDURE, 1908

Level — Hard

1. By which report/reports, the Law Commission of India had recommended that the express provisions on Counter-Claim should be inserted in the Code of Civil Procedure, 1908?
(a) 27th report
(b) 54th report
(c) Both A and B
(d) Neither A nor B

1. किस रिपोर्ट/रिपोर्ट द्वारा, भारत के विधि आयोग ने सिफारिश की थी कि प्रति-दावा पर व्यक्त प्रावधानों को नागरिक प्रक्रिया संहिता, 1908 में सम्मिलित किया जाना चाहिए?
(ए) 27 वीं रिपोर्ट
(बी) 54वीं रिपोर्ट
(सी) ए और बी दोनों
(डी) न तो ए और न ही बी

2. By what amendment, Order VIII Rule 6A of the Code of Civil Procedure, 1908 was introduced?
(a) By Act 104 of 1976
(b) By Act 22 of 2002
(c) By Act 46 of 1999
(d) By Act 66 of 1956

2. सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश VIII नियम 6A किस संशोधन द्वारा शामिल किया गया था?
(ए) 1976 के अधिनियम 104 द्वारा
(बी) 2002 के अधिनियम 22 द्वारा
(सी) 1999 के अधिनियम 46 द्वारा
(डी) 1956 के अधिनियम 66 द्वारा

3. What is or are the modes of pleading or setting up a counter-claim in a civil suit?
(a) A defendant in a suit may set-up by way of counter-claim against the claim of the plaintiff, any right/claim in respect of a cause of action accruing to the defendant against the plaintiff under Order VIII Rule 6A(1) CPC either before or after the filing of suit but before the defendant has delivered his defence.
(b) A counter-claim may be preferred by way of an amendment incorporated under Order VI Rule 17 CPC, subject to the leave of the Court in a written statement already filed.
(c) A counter-claim may be filed by way of a subsequent pleading under Order VIII Rule 9 CPC.
(d) All of the above

3. दीवानी वाद में प्रति-दावा की पैरवी करने या स्थापित करने के तरीके क्या हैं?
(ए) एक मुकदमे में एक प्रतिवादी के दावे के खिलाफ प्रति-दावा के माध्यम से स्थापित किया जा सकता है वादी, प्रतिवादी को प्रोद्भूत कार्रवाई के कारण के संबंध में कोई अधिकार/दावा आदेश VIII नियम 6ए(1) सीपीसी के तहत वादी के खिलाफ या तो दाखिल करने से पहले या बाद में लेकिन इससे पहले कि प्रतिवादी ने अपना बचाव दिया हो।

www.linkinglaws.com

(बी) के तहत शामिल एक संशोधन के माध्यम से एक प्रति-दावा को प्राथमिकता दी जा सकती है आदेश VI नियम 17 सीपीसी, एक लिखित बयान में न्यायालय की अनुमति के अधीन पहले से दायर।

(सी) आदेश VIII नियम 9 के तहत एक बाद की दलील के माध्यम से एक जवाबी दावा दायर किया जा सकता है आदेश VIII नियम 9 सीपीसी।

(डी) उपरोक्त सभी

4. According to Section 113 of the CPC, a reference may be made by subordinate Court to the High Court, on a question which arises —

(a) In a suit in which the decree is not subject to a second appeal to the High Court, or in the execution of such decree.

(b) If it is a question of law or usage having the force of law, on which the court trying the suit or appeal entertains reasonable doubts.

(c) Either A or B

(d) In a suit in which the decree is subject to a second appeal to the High Court.

4. सीपीसी की धारा 113 के अनुसार, एक प्रश्न पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उच्च न्यायालय को एक संदर्भ दिया जा सकता है -

(ए) एक मुकदमे में जिसमें डिक्री उच्च न्यायालय में दूसरी अपील के अधीन नहीं है, या इस तरह के फरमान के निष्पादन में।

(बी) यदि यह कानून के बल वाले कानून या उपयोग का सवाल है, जिस पर अदालत कोशिश कर रही है वाद या अपील में उचित शंकाएं होती हैं।

(सी) या तो ए या बी

(डी) एक मुकदमे में जिसमें डिक्री उच्च न्यायालय में दूसरी अपील के अधीन है।

5. An appeal —

(a) May be filed by a party or the person aggrieved.

(b) It may be to any Superior Court which may not necessarily be the High Court.

(c) It can be preferred only after the decree is passed or an order made which is appealable.

(d) All of the above

5. एक अपील -

(ए) किसी पक्ष या पीड़ित व्यक्ति द्वारा दायर किया जा सकता है।

(बी) यह किसी भी उच्च न्यायालय के लिए हो सकता है जो जरूरी नहीं कि उच्च न्यायालय हो।

(सी) डिक्री पारित होने या आदेश दिए जाने के बाद ही इसे प्राथमिकता दी जा सकती है: अपील योग्य

(D) उपरोक्त सभी

www.linkinglaws.com

6. Point out the wrong Answer -

(a) Revisional Jurisdiction under Section 115 CPC can be exercised only by the Hon'ble High Court.
(b) Revision is available when no appeal lies.
(c) Revisional jurisdiction can be exercised suo-moto also.
(d) Order passed in revisional jurisdiction is appealable.

6. गलत उत्तर को इंगित करें -
(ए) धारा 115 सीपीसी के तहत पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार का प्रयोग केवल माननीय हाईकोर्ट द्वारा किया जा सकता है।
(बी) जब कोई अपील नहीं होती है तो पुनरीक्षण उपलब्ध होता है।
(सी) पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार का प्रयोग स्व-प्रेरणा से भी किया जा सकता है।
(घ) पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार में पारित आदेश अपीलीय है।

7. Point out the wrong Answer -
(a) Review under Section 114 CPC is available irrespective of whether an appeal lies from the decree or order.
(b) Review powers can be exercised by the Court suo-moto or upon application of the aggrieved party.
(c) Order granting review is not appealable
(d) Both b and c

7. गलत उत्तर को इंगित करें -
(ए) धारा 114 सीपीसी के तहत समीक्षा उपलब्ध है, भले ही अपील डिक्री या आदेश से हो।
(बी) समीक्षा शक्तियों का प्रयोग न्यायालय द्वारा स्व-प्रेरणा से या असंतुष्ट पक्ष के आवेदन पर किया जा सकता है।
(सी) समीक्षा देने का आदेश अपील योग्य नहीं है
(डी) बी और सी दोनों

8. Under Section 104 of the CPC, an appeal shall not lie from the following orders —
(a) An order under Section 35A CPC
(b) Order under Section 91 CPC or Section 92 CPC refusing leave to institute a suit of the nature referred to in Section 91 CPC or Section 92 CPC, as the case may be.
(c) Order under Section 91 CPC and Section 92 CPC allowing leave to institute a suit of the nature referred to in Section 91 CPC or Section 92 CPC, as the case may be.
(d) An order under Section 95 CPC.

8. सीपीसी की धारा 104 के तहत, निम्नलिखित आदेशों से अपील नहीं की जा सकती -
(ए) धारा 35ए सीपीसी के तहत एक आदेश
(बी) धारा 91 सीपीसी या धारा 92 सीपीसी के तहत आदेश का मुकदमा दायर करने के लिए छुट्टी से इनकार करते हुए धारा 91 सीपीसी या धारा 92 सीपीसी, जैसा भी मामला हो, में निर्दिष्ट प्रकृति।
(सी) धारा 91 सीपीसी और धारा 92 सीपीसी के तहत आदेश का मुकदमा चलाने के लिए छुट्टी

www.linkinglaws.com

की अनुमति देता है धारा 91 सीपीसी या धारा 92 सीपीसी, जैसा भी मामला हो, में निर्दिष्ट प्रकृति।

(डी) धारा 95 सीपीसी के तहत एक आदेश।

9. Under Section 96 of the CPC, an appeal —

(a) May lie from every decree passed by any Court exercising original jurisdiction to the Court authorised to hear appeals from the decision of such Court.

(b) Shall lie from an original decree passed ex-parte.

(c) May lie from an original decree passed ex-parte.

(d) Shall lie from the decree passed by the Court with the consent of parties.

9. सीपीसी की धारा 96 के तहत एक अपील -

(ए) मूल अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने वाले किसी भी न्यायालय द्वारा पारित प्रत्येक डिक्री से अपील की जा सकती है ।

(बी) एकतरफा पारित एक मूल डिक्री से अपील की जा सकती है न्यायालय ऐसे न्यायालय के निर्णय से अपीलों की सुनवाई के लिए प्राधिकृत है।

(सी) एक पक्षीय पारित एक मूल डिक्री से से अपील की जा सकती है।

(डी) पार्टियों की सहमति से न्यायालय द्वारा पारित डिक्री से अपील की जा सकती है न्यायालय ऐसे न्यायालय के निर्णय से अपीलों की सुनवाई के लिए प्राधिकृत है।

उत्तर: सी

स्पष्टीकरण: - L/w धारा 96 (2) सीपीसी, एक पक्षीय पारित मूल डिक्री से अपील की जा सकती है।

10. Arrange the following clauses of Section 94 CPC in a correct sequence - In order to prevent the ends of justice from being defeated, the Court may -

(i) Direct the defendant to furnish security to produce any property belonging to him.

(ii) Grant a temporary injunction and in case of disobedience commit the person guilty thereof to the civil prison.

(iii) Issue a warrant of arrest the defendant and bring him before the Court to show cause why he should not give security for his appearance.

(iv) Appoint a receiver of any property and enforce the performance of his duties by attaching and selling his property.

(a) (i) (ii) (iii) (iv)
(b) (ii) (iii) (iv) (i)
(c) (iii) (i) (ii) (iv)
(d) (iv) (i) (ii) (iii)

10. धारा 94 सीपीसी के निम्नलिखित खंडों को सही क्रम में व्यवस्थित करें –
न्याय के लक्ष्य को पराजित होने से रोकने के लिए न्यायालय यह कर सकता है -

(i) प्रतिवादी को अपनी कोई संपत्ति पेश करने के लिए प्रतिभूति देने का

(ii) अस्थायी निषेधाज्ञा प्रदान करें और अवज्ञा के मामले में व्यक्ति को दोषी ठहराएं उसके बाद सिविल जेल में।

(iii) प्रतिवादी की गिरफ्तारी का वारंट जारी करना और न्यायालय के समक्ष लाना कारण कि वह अपनी उपस्थिति के लिए प्रतिभूति क्यों न दें।

(iv) किसी भी संपत्ति के रिसीवर की नियुक्ति करें और उसके कर्तव्यों के प्रदर्शन को लागू करें उसकी संपत्ति को कुर्क करना और बेचना।

(ए) (i) (ii) (iii) (iv)
(बी) (ii) (iii) (iv) (i)
(सी) (iii) (i) (ii) (iv)
(डी) (iv) (i) (ii) (iii)

11. In which of the following case it was held that the "Jurisdiction means the extent of power of a Court to entertain suits and applications. It signifies the power, authority and competency of the Court to adjudicate disputes presented before it. It refers to the right of administrating Justice by means of law" -

(a) Official Trustee, West Bengal vs. Sachindra Nath Chatterjee (AIR 1969 SC 823)
(b) Patel Roadways Ltd. Bombay vs. Prasad Trading Co. (AIR 1992 SC 1514)
(c) Hira Lal Patni vs. Kali Nath (AIR 1962 SC 199)
(d) Kiran Singh vs. Chaman Paswan (AIR 1954 SC 340)

11. निम्नलिखित में से किस मामले में यह माना गया था कि "अधिकार का अर्थ है न्यायालय की वादों और आवेदनों पर विचार करने की शक्ति की सीमा। यह न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए गए विवादों का न्यायनिर्णयन करने की शक्ति, अधिकार और योग्यता को दर्शाता है। यह कानून के माध्यम से न्याय का प्रशासन करने के अधिकार को संदर्भित करता है" -

(ए) आधिकारिक ट्रस्टी, पश्चिम बंगाल बनाम सचिंद्र नाथ चटर्जी (AIR 1969 SC 823)
(बी) पटेल रोडवेज लिमिटेड बॉम्बे बनाम प्रसाद ट्रेडिंग कंपनी (एआईआर 1992 एससी 1514)
(c) हीरा लाल पाटनी बनाम काली नाथ (AIR 1962 SC 199)
(d) किरण सिंह बनाम चमन पासवान (AIR 1954 SC 340)

उत्तर: ए

स्पष्टीकरण: - L/w अध्याय – 2 [मुल्ला- भारतीय अभ्यास की कुंजी (12 वां संस्करण), पृष्ठ -7]

12. Relying on the maxim "ex dolo malo non oritur actio", in which case the Hon'ble Supreme Court held that "by an agreement which absolutely ousted the jurisdiction of a court having Jurisdiction to decide the matter, would be unlawful and void, being contrary to public policy under Section 28 of the Indian Contract Act, 1872"?

(a) ABC Laminart vs. A P Agencies, AIR 1989 SC 1239
(b) P Dasa Muni Reddy vs. P Appa Rao AIR 1974 SC 2089
(c) Globe Transport Corp. vs. Triveni Engineering Works (1983) 4 SSC 707

(d) Abdulla Bin Ali vs. Galappa, AIR 1985 SC 577

12. मैक्सिम "एक्स डोलो मालो नॉन ओरिटुर एक्शन" पर भरोसा करते हुए, जिस मामले में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि "एक समझौते से जिसने मामले को तय करने के क्षेत्राधिकार वाले न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को पूरी तरह से हटा दिया, वह गैरकानूनी और शून्य होगा, क्योंकि सार्वजनिक नीति के विपरीत है, भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 की धारा 28 के तहत "?

(ए) एबीसी लैमिनार्ट बनाम एपी एजेंसियां, एआईआर 1989 एससी 1239

(बी) पी दास मुनि रेड्डी बनाम पी अप्पा राव एआईआर 1974 एससी 2089

(सी) ग्लोब ट्रांसपो

(डी) अब्दुल्ला बिन अली बनाम गैलप्पा, एआईआर 1985 एससी 577

13. Under Order II Rule 4 of the CPC, in a suit for the recovery of immovable property, a plaintiff is not entitled, without the leave of the Court, to join any claim except -

(a) Claims for mesne profit or arrears of rent.

(b) Claims for damages for breach of any contract under which the property is held.

(c) Claims in which the relief sought is based on the same cause of action.

(d) All of the above

13. सीपीसी के आदेश II नियम 4 के तहत, अचल संपत्ति की वसूली के लिए एक मुकदमे में, वादी, न्यायालय की अनुमति के बिना, किसी भी अपेक्षित दावे में शामिल होने का हकदार नहीं है -

(ए) मेसने लाभ या किराए के बकाया के लिए दावा।

(बी) किसी भी संविदा के उल्लंघन के लिए नुकसान के लिए दावा जिसके तहत संपत्ति आयोजित की जाती है।

(सी) दावा जिसमें मांगी गई राहत कार्रवाई के एक ही कारण पर आधारित है।

(D) उपरोक्त सभी

14. Under Section 2(2) of the CPC, 'Decree' means -

(a) The formal expression of an adjudication which, so far as regards the court expressing it, conclusively determines the rights of the parties with regard to all or any of the matter in controversy in the suit.

(b) The formal expression of an adjudication which, so far as regards the court expressing it, finally determines the rights of the parties which regard to all or any of the mater in controversy in the suit.

(c) The formal expression of an adjudication which, so far as regards the court expressing it, absolutely determines the rights of the parties with regard to all or any of the matter in controversy in the suit.

www.linkinglaws.com

(d) The formal expression of an adjudication which, so far as regards the court expressing it, clearly determines the right of the parties with regard to all or any of the matters in the controversy in the suit.

14. सीपीसी की धारा 2(2) के तहत, 'डिक्री' का अर्थ है -

(ए) एक निर्णय की औपचारिक अभिव्यक्ति, जो अब तक अदालत के संबंध में है इसे व्यक्त करते हुए, सभी के संबंध में पार्टियों के अधिकारों को निर्णायक रूप से निर्धारित करता है या सूट में विवाद में कोई भी मामला।

(बी) एक निर्णय की औपचारिक अभिव्यक्ति, जहां तक न्यायालय का संबंध है इसे व्यक्त करते हुए, अंततः उन पक्षों के अधिकारों को निर्धारित करता है जो सभी या किसी के संबंध में हैं सूट में विवाद में मामला।

(सी) एक निर्णय की औपचारिक अभिव्यक्ति, जहां तक न्यायालय का संबंध है इसे व्यक्त करते हुए, सभी या किसी के संबंध में पार्टियों के अधिकारों को पूरी तरह से निर्धारित करता है सूट में विवाद में मामले की।

(डी) एक निर्णय की औपचारिक अभिव्यक्ति, जहां तक न्यायालय का संबंध है इसे व्यक्त करते हुए, सभी या किसी के संबंध में पार्टियों के अधिकार को स्पष्ट रूप से निर्धारित करता है सूट में विवाद में मामले।

15. Under Section 2(12) of the CPC, 'mesne profit' of property means -

(a) Those profits which the person in wrongful possession of such property admittedly received or might with ordinary diligence have received therefrom together with interest on such profits but shall not include profits due to improvements made by the person in wrongful possession.

(b) Those profits which the person in wrongful possession of such property actually received or might with ordinary diligence have received therefrom together with interest on such profits but shall include profits due to improvements made by the person in wrongful possession.

(c) Those profits which the person in wrongful possession of such property actually received or might with ordinary diligence have received therefrom together with interest on such profit but shall not include profit due to improvements made by the person in wrongful possession.

(d) Those profits which the person in wrongful possession of such property absolutely received or might with ordinary diligence have received therefrom together with interest on such profits, but shall not include profits due to improvements

www.linkinglaws.com

made by the person in wrongful possession

15. सीपीसी की धारा 2(12) के तहत संपत्ति के 'मेस्ने प्रॉफिट' का अर्थ है -
(ए) वे लाभ जो ऐसी संपत्ति के गलत कब्जे वाले व्यक्ति ने स्वीकार किए हैं या सामान्य परिश्रम के साथ ऐसे लाभ पर ब्याज के साथ प्राप्त किए हैं, लेकिन इसमें गलत कब्जे वाले व्यक्ति द्वारा किए गए सुधारों के कारण लाभ शामिल नहीं होंगे गलत कब्जे में व्यक्ति।
(बी) वे लाभ जो ऐसी संपत्ति के गलत कब्जे वाले व्यक्ति ने वास्तव में प्राप्त किए हैं या सामान्य परिश्रम से ऐसे लाभ पर ब्याज के साथ प्राप्त किए हैं, लेकिन इसमें गलत कब्जे वाले व्यक्ति द्वारा किए गए सुधारों के कारण लाभ शामिल होंगे ।
(सी) वे लाभ जो ऐसी संपत्ति के गलत कब्जे वाले व्यक्ति ने वास्तव में प्राप्त किए हैं या सामान्य परिश्रम से ऐसे लाभ पर ब्याज के साथ प्राप्त किए हैं, लेकिन गलत कब्जे वाले व्यक्ति द्वारा किए गए सुधारों के कारण लाभ शामिल नहीं होंगे।
(डी) वे लाभ जो ऐसी संपत्ति के गलत कब्जे वाले व्यक्ति ने पूरी तरह से प्राप्त किए हैं या सामान्य परिश्रम से ऐसे लाभ पर ब्याज के साथ प्राप्त किए हैं, लेकिन इसमें गलत कब्जे वाले व्यक्ति द्वारा किए गए सुधारों के कारण लाभ शामिल नहीं होंगे

16. Find out the correct statement-
Section 3 of the CPC deals with the subordination of Courts and for that purpose-
(a) The High Court is subordinate to the Supreme Court.
(b) The District Court is subordinate to the High Court.
(c) The District Court is subordinate to the Supreme Court.
(d) Every Court of small causes is subordinate to the High Court only and not to the District Court.

16. सही कथन का पता लगाएं-
सीपीसी की धारा 3 न्यायालयों की अधीनता से संबंधित है और उस उद्देश्य के लिए -
(ए) उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय के अधीनस्थ है।
(बी) जिला न्यायालय उच्च न्यायालय के अधीनस्थ है।
(सी) जिला न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय के अधीनस्थ है।
(डी) छोटे कारणों का प्रत्येक न्यायालय केवल उच्च न्यायालय के अधीनस्थ होता है न कि जिला न्यायालय के अधीन।

17. In which of the following case, it was said by the Hon'ble Supreme Court with regards to Section 92 CPC that "as regards to any charitable or religious institution, any devotee could move the jurisdictional District Judge throughout India with any grievance and the court could give appropriate directions for sound management and if need be send a report to the High Court which will consider issues of Public Interest with reference to these institutions and supplement or supplant the

www.linkinglaws.com

directions as may become necessary".

(a) Mrinalini Padhi vs. UOI 2018 SCC online 667
(b) Krishnaveni Nagam vs. Harish Nagam AIR 2017 SC 1345
(c) Swapnil Tripathi vs. Supreme Court of India (2018) 10 SCC 639
(d) Salem Advocate Bar association, Tamil Nadu vs. UOI 2005 SC

17. निम्नलिखित में से किस मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा धारा 92 सीपीसी के संबंध में कहा गया था कि "किसी भी धर्मार्थ या धार्मिक संस्था के संबंध में, कोई भी भक्त किसी भी शिकायत के साथ पूरे भारत में अधिकार क्षेत्र के जिला न्यायाधीश को स्थानांतरित कर सकता है और न्यायालय ध्वनि प्रबंधन के लिए उचित निर्देश दे सकता है और यदि आवश्यक हो तो भेजें उच्च न्यायालय को रिपोर्ट करें जो जनहित के मुद्दों पर विचार करेगा ये संस्थाएं और आवश्यकतानुसार निर्देशों का पूरक या प्रतिस्थापन करती हैं"।

(ए) मृणालिनी पाधी बनाम यूओआई 2018 एससीसी ऑनलाइन 667
(बी) कृष्णवेनी नागम बनाम हरीश नागम एआईआर 2017 एससी 1345
(सी) स्वप्निल त्रिपाठी बनाम भारत के सर्वोच्च न्यायालय (2018) 10 एससीसी 639
(डी) सलेम एडवोकेट बार एसोसिएशन, तमिलनाडु बनाम यूओआई 2005 एससी

18. Under Section 10 of the CPC, No court shall —

(a) Proceed with the trial of any suit in which the matter in issue is also directly or substantially in issue in a previously instituted suit between the same parties, or between parties under whom they or any of them claim litigating under the same title where the suit is pending in the same or any other court in India having Jurisdiction to grant the relief claimed, or in any Court beyond the limits of India established or continued by the central govt., or before Supreme Court.
(b) Proceed with the trial of any suit in which the matter in issue is also directly and substantially in issue in a previously instituted suit between the same parties, or between parties under whom they or any of them claim litigating under the same title where the suit is pending in the same or any other Court in India established or continued by the central govt or before Supreme Court.
(c) Proceed with the trial or issue of any suit in which the matter in issue is also directly or substantially in issue in a previously instituted suit between the same parties, or between parties under whom they or any of them claim litigating under the same title where the suit is pending in the same or any other Court in India established or continued by the any State govt. or the central govt., or before the Supreme Court.

www.linkinglaws.com

(d) Proceed with the trial or issue of any suit in which the matter in issue is also directly and substantially in issue in a previously instituted suit between the same parties, or between parties under whom they or any of them claim litigating under the same title where the suit is pending in the same or any other Court in India established or continued by the central govt or before the Supreme Court.

18. सीपीसी की धारा 10 के तहत, कोई भी अदालत-

(ए) किसी भी मुकदमे की सुनवाई के साथ आगे बढ़ें जिसमें मामला भी सीधे तौर पर है या एक ही पक्ष के बीच पहले से स्थापित मुकदमे में, या उन पार्टियों के बीच, जिनके तहत वे या उनमें से कोई एक ही शीर्षक के तहत मुकदमा चलाने का दावा करता है, जहां मुकदमा उसी या भारत में किसी अन्य अदालत में लंबित है, जिसके पास दावा की गई राहत देने का अधिकार क्षेत्र है। , या केंद्र सरकार द्वारा स्थापित या जारी भारत की सीमा से परे किसी भी न्यायालय में, या सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष।

(बी) किसी भी मुकदमे की सुनवाई के साथ आगे बढ़ें जिसमें मामला भी सीधे तौर पर है और एक ही पक्ष के बीच पहले से स्थापित मुकदमे में, या उन पार्टियों के बीच, जिनके तहत वे या उनमें से कोई एक ही शीर्षक के तहत मुकदमा चलाने का दावा करता है, जहां मुकदमा उसी या भारत में किसी अन्य न्यायालय में लंबित है या केंद्र सरकार द्वारा जारी रखा गया है। या सुप्रीम कोर्ट के सामने।

(सी) किसी भी मुकदमे के मुकदमे या मुद्दे के साथ आगे बढ़ें जिसमें मामला सीधे तौर पर है या एक ही पक्ष के बीच पहले से स्थापित मुकदमे में, या उन पार्टियों के बीच, जिनके तहत वे या उनमें से कोई एक ही शीर्षक के तहत मुकदमा चलाने का दावा करता है, जहां मुकदमा उसी या भारत में किसी अन्य न्यायालय में लंबित है या किसी भी राज्य द्वारा जारी रखा गया है। सरकार या केंद्र सरकार।, या सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष।

(डी) किसी भी मुकदमे के मुकदमे या मुद्दे के साथ आगे बढ़ें जिसमें मामला भी सीधे तौर पर है और एक ही पक्ष के बीच पहले से स्थापित मुकदमे में काफी हद तक जारी है, या पार्टियों के बीच जिनके तहत वे या उनमें से कोई एक ही शीर्षक के तहत मुकदमा चलाने का दावा करता है, जहां मुकदमा उसी या भारत में किसी अन्य न्यायालय में लंबित है या केंद्र सरकार द्वारा या सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष स्थापित या जारी रखा गया है।

19. Point out the correct sequence of the "Explanations" given in section 11 of the CPC —

(i) Any relief claimed in the plaint which is not expressly granted by the decree, shall for the purpose of section 11 CPC, be deemed to have been refused.

(ii) Where persons litigate bonafide in respect of a public right or of a private right claimed in common for themselves and others, all persons interested in such right shall, for the purpose of section 11 CPC, be deemed to claim under the person litigating.

(iii) For the purpose of Section 11 CPC, the competence of court shall be determined irrespective of any provisions as to a right of

www.linkinglaws.com

appeal from the decision of such court.

(iv) The matter referred must in the former suit have been alleged by one party and either denied or admitted, expressly or impliedly, by the other.

(a) (i) - Explanation V, (ii) - Explanation VI, (iii) - Explanation II, (iv) - Explanation III

(b) (i) - Explanation VI, (ii) - Explanation I, (iii) - Explanation VII, (iv) - Explanation II

(c) (i) - Explanation III, (ii)- Explanation IV, (iii) - Explanation VI, (iv) - Explanation II

(d) (i) - Explanation III, (ii) - Explanation V, (iii) - Explanation VI, (iv) - Explanation II

19. सीपीसी की धारा 11 में दिए गए "स्पष्टीकरण" के सही क्रम को इंगित करें -

(i) वादपत्र में दावा की गई कोई भी राहत जो स्पष्ट रूप से डिक्री द्वारा प्रदान नहीं की गई है, के लिए धारा 11 सीपीसी के उद्देश्य को अस्वीकार कर दिया गया माना जाएगा।

(ii) जहां व्यक्ति किसी सार्वजनिक अधिकार या दावा किए गए निजी अधिकार के संबंध में वास्तविक मुकदमेबाजी करते हैं अपने और दूसरों के लिए समान रूप से, ऐसे अधिकार में रुचि रखने वाले सभी व्यक्तियों को, धारा 11 सीपीसी का उद्देश्य, मुकदमा करने वाले व्यक्ति के तहत दावा करने के लिए समझा जाएगा।

(iii) सीपीसी की धारा 11 के प्रयोजन के लिए न्यायालय की क्षमता का निर्धारण किया जाएगा इस तरह के न्यायालय के निर्णय से अपील के अधिकार के किसी भी प्रावधान के बावजूद।

(iv) पूर्व वाद में निर्दिष्ट मामला एक पक्ष द्वारा आरोपित होना चाहिए और दूसरे द्वारा स्पष्ट रूप से या निहित रूप से इनकार या स्वीकार किया जाना चाहिए।

(ए) (i) - स्पष्टीकरण V, (ii) - स्पष्टीकरण VI, (iii) - स्पष्टीकरण II, (iv) - स्पष्टीकरण III

(बी) (i) - स्पष्टीकरण VI, (ii) - स्पष्टीकरण I, (iii) - स्पष्टीकरण VII, (iv) - स्पष्टीकरण II

(सी) (i) - स्पष्टीकरण III, (ii) - स्पष्टीकरण IV, (iii) - स्पष्टीकरण VI, (iv) - स्पष्टीकरण II

(डी) (i) - स्पष्टीकरण III, (ii) - स्पष्टीकरण वी, (iii) - स्पष्टीकरण VI, (iv) - स्पष्टीकरण II

20. As per Section 13 of the CPC, A foreign judgement shall be conclusive as to any matter thereby directly adjudicated upon between the same parties litigating under the same title —

(a) When it has been pronounced by the court of competent Jurisdiction

(b) When it has not given on the merits of the case.

(c) Where the proceedings in which the Judgment was obtained are opposed to the natural justice.

www.linkinglaws.com

(d) Where it has been obtained by fraud

20. सीपीसी की धारा 13 के अनुसार, एक ही शीर्षक के तहत मुकदमेबाजी करने वाले एक ही पक्ष के बीच सीधे निर्णय लेने वाले किसी भी मामले के लिए एक विदेशी निर्णय निर्णायक होगा -

(ए) जब यह सक्षम क्षेत्राधिकार के न्यायालय द्वारा सुनाया गया है

(बी) जब उसने मामले के गुणों पर नहीं दिया है।

(सी) जहां कार्यवाही जिसमें निर्णय प्राप्त किया गया था, के विरोध में हैं प्राकृतिक न्याय।

(डी) जहां यह धोखाधड़ी से प्राप्त किया गया है

21. Under Section 14 of the CPC, the court -

(a) May presume, upon the production of any document purporting to be certified copy of a foreign Judgment, that such judgment was pronounced by a court of competent Jurisdiction.

(b) Shall presume upon the production of any document purporting to be certified copy of a foreign judgment, that such Judgment was pronounced by a court of competent Jurisdiction.

(c) May not presume upon the production of any document purporting to be certified copy of a foreign judgment, that such Judgment was pronounced by a court of competent Jurisdiction.

(d) Shall conclusively presume upon the production of any document purporting to be certified copy of a foreign judgment, that such Judgment was pronounced by a court of competent Jurisdiction.

21. सीपीसी की धारा 14 के तहत न्यायालय -

(ए) प्रमाणित प्रति होने के लिए कथित तौर पर किसी भी दस्तावेज के उत्पादन पर मान सकता है एक विदेशी निर्णय का, कि ऐसा निर्णय सक्षम क्षेत्राधिकार न्यायालय द्वारा सुनाया गया था।

(बी) प्रमाणित प्रति होने के लिए कथित तौर पर किसी भी दस्तावेज के उत्पादन पर विचार करेगा एक विदेशी निर्णय का, कि ऐसा निर्णय सक्षम क्षेत्राधिकार न्यायालय द्वारा सुनाया गया था।

(सी) प्रमाणित होने के लिए किसी भी दस्तावेज के उत्पादन पर अनुमान नहीं लगाया जा सकता है एक विदेशी निर्णय की प्रति, कि इस तरह का निर्णय सक्षम क्षेत्राधिकार न्यायालय द्वारा सुनाया गया था।

(डी) किसी भी दस्तावेज के उत्पादन पर निर्णायक रूप से अनुमान लगाया जाएगा जोएक विदेशी निर्णय की प्रमाणित प्रति, कि ऐसा निर्णय सक्षम क्षेत्राधिकार न्यायालय द्वारा सुनाया गया था।

22. Where a suit to obtain relief respecting, or compensation for wrong to immovable property held by or on behalf of the defendant may, where the relief sought can be entirely obtained through his personal obedience, be instituted in the court within -

(a) The local limits of whose jurisdiction the property is situated only.

www.linkinglaws.com

(b) The local limits of whose Jurisdiction the defendant actually and voluntarily resides, or carries on business, or personally works for gains.
(c) The local limits of whose Jurisdiction the plaintiff actually and voluntarily resides, or carries on business, or personally works for gains.
(d) Either A or B

22. जहां एक वाद के संबंध में राहत प्राप्त करने के लिए, या अचल को गलत के लिए मुआवजा प्रतिवादी द्वारा या उसकी ओर से रखी गई संपत्ति, जहां मांगी गई राहत पूरी तरह से उसकी व्यक्तिगत आज्ञाकारिता के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है, अदालत में स्थापित की जा सकती है -
(ए) स्थानीय सीमाएं जिनके अधिकार क्षेत्र की संपत्ति केवल स्थित है।
(बी) स्थानीय सीमाएं जिनके अधिकार क्षेत्र में प्रतिवादी वास्तव में और स्वेच्छा से रहता है,या व्यापार करता है, या व्यक्तिगत रूप से लाभ के लिए काम करता है।
(सी) स्थानीय सीमाएं जिनके अधिकार क्षेत्र में वादी वास्तव में और स्वेच्छा से रहता है, या व्यापार करता है, या व्यक्तिगत रूप से लाभ के लिए काम करता है।
(डी) या तो ए या बी

23. Under what Section of the Code, the provisions relating to a suit for compensation for wrongs to person or movables may be instituted at the options of the plaintiff, is provided?
(a) 17
(b) 18
(c) 19
(d) 20

23. संहिता की किस धारा के तहत वादी के विकल्प पर व्यक्ति या चल-अचल को हुए नुकसान के मुआवजे के वाद से संबंधित प्रावधान स्थापित किए जा सकते हैं?
(ए) 17
(बी) 18
(सी) 19
(डी) 20

24. Arrange the following below given statements in correct sequence as given under Section 21 of the code —
I. No objection as to the competence of a Court with reference to the pecuniary limits of its Jurisdiction shall be allowed by any Appellate or Revisional Court unless such objection was taken in the court of first instance at the earliest possible opportunity, and, in all the cases where issues are settled, at or before such settlement, and unless there has been a consequent failure of Justice.
II. No objection as to the place of suing shall be allowed by any Appellate or Revisional Court unless such objection was taken in the court of first instance at the earliest possible opportunity and in all cases where issues are settled at or before such settlement, and unless there has been consequent failure of Justice.

III. No objection as to the competence of the executing Court with reference to the local limits of its Jurisdiction shall be allowed by any Appellate or Revisional Court unless such objection was taken in the executing court at the earliest possible opportunity, and unless there has been a consequent failure of Justice.

(a) I – II - III
(b) II – I - III
(c) I – III - II
(d) II – III - I

24. नीचे दिए गए कथनों को कोड की धारा 21 के तहत दिए गए सही क्रम में व्यवस्थित करें -

I. की आर्थिक सीमाओं के संदर्भ में एक न्यायालय की क्षमता के बारे में कोई आपत्ति नहीं किसी भी अपीलीय या पुनरीक्षण न्यायालय द्वारा इसके क्षेत्राधिकार की अनुमति दी जाएगी जब तक कि यथाशीघ्र संभव अवसर पर प्रथम दृष्टया न्यायालय में आपत्ति ली गई थी, और, ऐसे सभी मामलों में जहां मुद्दों का निपटारा हो जाता है, ऐसे निपटारे पर या उससे पहले, और जब तक कि न्याय की परिणामी विफलता न हुई हो।

II. किसी भी अपीलीय या पुनरीक्षण द्वारा वाद के स्थान के संबंध में कोई आपत्ति अनुज्ञात नहीं की जाएगी जब तक कि इस तरह की आपत्ति प्रथम दृष्टया न्यायालय में जल्द से जल्द संभव अवसर पर नहीं ली गई हो और सभी मामलों में जहां ऐसे निपटारे पर या उससे पहले मुद्दों का निपटारा किया गया हो, और जब तक कि न्याय की परिणामी विफलता न हो।

III. स्थानीय के संदर्भ में निष्पादन न्यायालय की क्षमता पर कोई आपत्ति नहीं किसी भी अपीलीय या पुनरीक्षण न्यायालय द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र की सीमाओं की अनुमति दी जाएगी जब तक किइस तरह की आपत्ति को जल्द से जल्द संभव अवसर पर निष्पादन न्यायालय में लिया गया था, और जब तक न्याय की परिणामी विफलता न हुई हो।

(ए) I - II - III
(बी) II - I - III
(सी) I- III - II
(डी) II - III – I

25. धारा 21ए सीपीसी को दिए गए स्पष्टीकरण के तहत, अभिव्यक्ति 'पूर्व सूट' का अर्थ है-

(ए) एक सूट जो उस मुकदमे में निर्णय लेने से पहले तय किया गया है जिसमें वैधता डिक्री पर सवाल उठाया जाता है, क्या पहले से तय किया गया मुकदमा उस मुकदमे से पहले स्थापित किया गया था जिसमें ऐसी डिक्री की वैधता पर सवाल उठाया गया था।

(बी) एक पूर्व सूट एक सूट है जिसे पहले तय किया गया है।

(सी) एक सूट जो मुकदमे के निर्णय से पहले तय किया गया है जिसमें वैधता डिक्री पर सवाल उठाया गया है और इसे उस मुकदमे से पहले भी स्थापित किया जाना चाहिए जिसमें इस तरह के फरमान की वैधता पर सवाल उठाया जाता है।

(डी) या तो ए या बी या सी।

www.linkinglaws.com

25. Under the explanation given to Section 21A CPC, the expression 'former suit' means—

(a) A suit which has been decided prior to the decision in the suit

in which the validity of the decree is questioned, whether or not the previously decided suit was instituted prior to the suit in which the validity of such decree is questioned.

(b) A former suit is a suit which has been decided first.

(c) A suit which has been decided prior to the decision of the suit in which the validity of the decree is questioned and it must also be instituted prior to the suit in which the validity of such decree is questioned.

(d) Either A or B or C.

25. धारा 21ए सीपीसी को दिए गए स्पष्टीकरण के तहत, अभिव्यक्ति 'पूर्व सूट' का अर्थ है-

(ए) एक सूट जो उस मुकदमे में निर्णय से पहले तय किया गया है जिसमें डिक्री की वैधता पर सवाल उठाया गया है, क्या पहले से तय किया गया मुकदमा उस मुकदमे से पहले स्थापित किया गया था जिसमें ऐसी डिक्री की वैधता पर सवाल उठाया गया था।

(बी) एक पूर्व सूट एक सूट है जिसे पहले तय किया गया है।

(सी) एक मुकदमा जो उस मुकदमे के निर्णय से पहले तय किया गया है जिसमें डिक्री की वैधता पर सवाल उठाया गया है और इसे उस मुकदमे से पहले भी स्थापित किया जाना चाहिए जिसमें ऐसी डिक्री की वैधता पर सवाल उठाया गया हो।

(डी) या तो ए या बी या सी।

www.linkinglaws.com